

jktLo vrjky ,oajkt dkskh; iksit dk fu/kkj .k

13.1.0 प्रस्तावना :

- 13.1.1 **jkt; fo&r vk; kx** अपनी यात्रा की लगभग समाप्ति पर है। इस अवस्था तक पहुँचने में उसे लम्बा रास्ता तय करना पड़ा, जिसकी प्रत्येक सीढ़ी ने राज्य के **u-LFkk fudk; k** के लिये राजकोषीय पैकेज के निर्धारण के लिये आधार शिलायें एवं साधन उपलब्ध कराए। अब हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण (कठिन निर्णायक) अवस्था में पहुँच गये हैं, जहाँ हमें राज्य के **u-LFkk-fudk; k ds jktLo vrjky dk vdkj ,oamI dh idfr** ज्ञात करनी है। **jktLo vrjky ds vdkyu I } jkt; I jdkj Is LFkuh; fudk; k ds jkf'k; k ds vrj.k ds fy; s jkt dkskh; iksit rskj djus dh nV Is fu.lik;d Hkfedk gkxhA gea doy orku okLrfod jktLo vrjky dk gh vdkyu ughadujk g\$ oju~I likfor jktLo vrjky dk Hk dju g\$** क्योंकि **jk-fo-vk-** से अपेक्षा की गई है, कि वह स्थानीय निकायों के भविष्य की आवश्यकताओं एवं उनके भविष्य के संभावित साधनों को ध्यान में रखते हुये साधनों के अंतरण की अनुशंसायें करेगा।
- 13.1.2 **I fo/ku I dksku ea dsfo-vk Is vi\$kk dh xbZ g\$ fd og d\$nz Is jkt; k ds I k/kuk ds , Is vrj.k dh vuqkd k djxk tkj kf-fo-vk- dh vuqkd k vuqkj LFkuh; fudk; k ds I k/kuk ds I iksit djxk** इस संवैधानिक दायित्व को निभाने के लिये रा.वि.आ. के पास न.स्था.निकायों के लिये राजकोषीय पैकेज के आकार को निर्धारित करने के लिये कुछ आधार होना आवश्यक है। विभिन्न रा.वि.आयोगों द्वारा अपने—अपने राज्यों के लिये आकलित राजस्व अंतराल के.वि.आ. को यह आधार उपलब्ध करा सकते हैं। अभी तक देश के कम ही रा.वि.आयोगों ने ऐसे राजस्व अंतरालों का आकलन किया है, जो राज्य से स्थानीय निकायों को अंतरण

संबंधी अनुशंसा के पैकेज तैयार करने तथा के.वि.आ. को अपने संवैधानिक दायित्व के वहन करने में सहायक हो सके। **jktLo vrjky** के आकलन के अभाव में **XI09, o_a XII09 fo-vk-** ने स्थानीय निकायों के साधनों के संपूरण हेतु केन्द्र से राज्यों को हस्तांतरणों की अनुशंसायें अधिकांशतः तदर्थ आधार पर की हैं। इस संबंध में हम **XII09 fo-vk-** के विचार को उद्धृत करना चाहेंगे। **“jkt; folkr vk; kxka ds ifrosuka dh xgu tlp** स्पष्ट करती है, कि बहुत कम राज्य वित्त आयोगों ने यह क्रिया अपनायी है। इस कारण उनके प्रतिवेदनों को हमारी अनुशंसाओं का आधार बनाना संभवन नहीं हो सका है। हम जोर देकर अनुशंसा करते हैं, कि भविष्य में सभी राज्य वित्त आयोगों, पहले से नियुक्त ऐसे आयोगों को भी शामिल करते हुये, जिन्हें अभी अपनी अनुशंसायें प्रस्तुत करनी हैं, उपर्युक्त प्रक्रिया अपनायें जिससे केन्द्रीय वित्त आयोग अपने **I o\$kkfud vf/kn\$k ds I kfk ijk U;k; dj I dA”** (पृष्ठ-150) के वि.आ. एवं रा.वि.आ., दोनों को अपने संवैधानिक दायित्वों के निष्पादन को सुगम बनाने में स्थानीय निकायों के राजस्व अंतराल के आकलन के महत्व को कम नहीं किया जा सकता।

13.2.0 राजस्व अंतराल क्या है ?

- 13.2.1 **jktLo vrjky u-LFkk-fudk; k_a ds Lo; a ds jktLo %dj jktLo\$xj&dj jktLo% , oa muds jktLo 0; ; dk vrj gk_a g_a** जब उनके राजस्व व्यय के अधिकांश भाग का वित्त पोषण **u-LFkk-fudk; k_a** के स्वयं के साधनों से होता है, तब राजस्व अंतराल कम हो जाता है।
- 13.2.2 **fdI h u-LFkk-fudk; dk jktLo 0; ;] dj ,oa xj&dj I kr Is ml dk Lo; a dk jktLo rFkk jkt; ,oa dInz I jdkj Is jktLo yks ds dy gLrkj.k_a ds ;kx ds cjkcj gk_a g_a vr,o jktLo vUvrjky] u-LFkk-fudk; ds Lo; a dh jktLo i\$flr;k_a ij jktLo 0; ; ds vkf/kD; ds cjkcj gk_a g_a** अन्य शब्दों में यह राज्य एवं केन्द्र सरकार से स्थानीय निकायों को राजस्व लेखे के कुल हस्तांतरणों के बराबर होता है। पिछले अध्याय में हम लिख ही चुके हैं, कि राजस्व

अंतराल के बढ़ने तथा बाहरी स्रोत से उसके वित्त पोषण की वृद्धि से स्थानीय निकायों की आत्म-निर्भरता में कमी आती है। चूँकि हमारा कार्य राज्य के न.स्था. निकायों की भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण करना भी है, अतः हमें *I ॥for jktLo vrjky* भी आकलित करना होगा, जिससे आशय होता है, *Hfo*"; *ea ॥tks gekjs I nHkZ ea ikp o"kl dh vof/k g%* *uLFkk-fudk; ka dh 0;*; *vko'; drkvka ,oa mudh jktLo tylkus dh {kerk ds chp vrj] bl s* *I ॥for jktLo vrjky dgk tkrk g]* व्यय आवश्यकता वह राशि होगी, जिसकी एक *u-स्था.निकाय* को एक निर्धारित स्तर की सेवायें प्रदान करने के लिये आवश्यकता होगी। राजस्व जुटाने की क्षमता को उस राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे न.स्था.निकाय अपने नागरिकों पर एक निश्चित कर-भार डालते हुये जुटा सकती है और साथ ही नागरिकों को कतिपय सेवाओं के प्रदाय के बदले में पर्याप्त उपभोक्ता मूल्य वसूल कर सकती है।

13.2.3 राजस्व अंतराल के प्रमुख कारण होते हैं – राजस्व व्यय एवं स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में समानता की कमी अथवा अधिक व्यय उत्तरदायित्व एवं कम राजस्व जुटाने के अधिकार तथा स्थानीय निकायों के कमजोर आर्थिक आधार से उत्पन्न राजकोषीय बाधायें। सभी न.स्था.निकायों के कर अधिकार समान रहते हुये भी अनेक ऐसे अन्य कारण हो सकते हैं, जो स्थानीय निकायों के राजस्व अंतराल को जन्म देते हैं, जैसे – विभिन्न न.स्था.निकायों में सेवा प्रदाय की इकाई लागतों में अंतर, भू-रचना, जनसंख्या घनत्व एवं नगरों के भौतिक स्वरूपों में अंतर न.स्था.निकायों की सीमित स्वायतत्त्वा, स्वयं के राजस्व जुटाने के प्रयासों में कमी तथा साधनों के अकुशल नियोजन एवं प्रबंधन के कारण राजस्व व्यय में वृद्धि।

13-2-4 *ftI idkj jktLo vrjky dk de vFkok '॥; gksuk vko'; d : i Is fdl h LFkuh; fudk; ds cgrj n{krk Lrj dk I dsrd ugha gkskj] bl h idkj vfkd jktLo vrjky dk vFkZ Hh vko'; d : i Is mudh xfrfot/k; ka ds fu"iknu ea vdqkyrk ugha gkskhA* शून्य राजस्व अंतराल एक

दुष्क्र का घोतक भी हो सकता है, जिसमें सेवाओं की घटिया गुणवत्ता के कारण राजस्व एवं व्यय का निम्न स्तर उत्पन्न हो तथा जो पुनः सेवाओं की घटिया गुणवत्ता का कारण बने। *ge jktLo ,oa0; ; ds chp fupysLrj ds I ryu ds LFku ij mPp Lrj ds I ryu dk I eFlu djek*

13.3.0 नगरीय स्थानीय निकायों का वास्तविक राजस्व अंतराल (2001–02 से 2003–04) :

- 13.3.1 *I Hkkfor vFkok vkn'kd jktLo vrjky* का आकलन करने के लिये, *i Fker% jkT; dh u-LFkk-fudk; ka ds okLrfod jktLo vrjky dks Kkr djuk vko'; d g* जिससे दोनों स्थितियों वास्तविक एवं संभावित राजस्व अंतराल की तुलना की जा सके। *I kj .kh Ø- 13-1* में यह *vrjky iLrr fd;k x;k g*
- 13.3.2 सारणी स्पष्ट करती है, कि *uxj ikfyd fuxe* अपने *jktLo 0;* के केवल 27.71% भाग का वित्त पोषण अपने *Lo; a ds I k/kuka* से कर सके, यही प्रतिशत *uxj ikfydk ifj'knka* के लिये 41.63% तथा *uxj ipk; rka* के लिये 30.36% था। इस संबंध में *uxj ikfyd fuxeka* का निष्पादन सर्वाधिक असंतोषजनक है। बढ़ते हुये राजस्व व्यय की पूर्ति राज्य एवं केन्द्र सरकार के हस्तांतरणों से की जाती है। *I Hkk i dkj ds u-LFkk-fudk; ka dk okf'kd vkl r vrjky : i ; s 142-90 djkM+g ft ds vkkkj ij I awkjkT; ds fy; s ; g : i ; s 163-40 djkM+ vuqfur g I fefyr : i I s n[kus ij jkT; ds u-LFkk-fudk; vi us jktLo 0; ; ds dxy 29-70% Hkkx dh i frz viuh Lo; adh jktLo i kflr; ka I s dj I d geus jkT; ds I Hkk u-LFkk-fudk; ka ds fy; s vuqku U; kn'kh u-LFkk-fudk; ka dh i klr tkudkjh ds vkkkj ij I xskr oxz es mudh tul f; k ds vuqkr es vkdgyr fd; I*

13.4.0 नगरीय स्थानीय निकायों का संभावित अथवा आदर्शक राजस्व अंतराल :

- 13.4.1 वास्तविक राजस्व अंतराल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, आदर्शक आधार पर संभावित राजस्व अंतराल का आकलन। *okLrfod jktLo vrjky* के आकलन की सीमित प्रासंगिकता है, क्योंकि यह स्थानीय निकायों के *jktLo t[kus ,oa0; ;* में कमी

करने के प्रयासों को शिथिल करेगा। इस प्रणाली के अंतर्गत जिस *u-LFkk-fudk;* का *ifr&0; fDr 0; ;* अधिकतम एवं *ifr&0; fDr Lo; a dk jktLo* न्यूनतम होगा उसे संभवतः राज्य से सर्वाधिक हस्तांतरण अंश प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यह अंतराल न.स्था.निकायों की करदेय क्षमता एवं व्यय आवश्यकताओं को स्पष्ट नहीं करता।
vr, o jk-fo-vk dks vius jkt dkskh; i &st dks r\$ kj djus ds fy; s I &for jktLo vrjky dk vkdyu vko'; d g॥

13.4.2 *I &for jktLo vrjky ds vkdyu ds vH; kl ds fy; s 0; ; , oajktLo ds ekudhdj.k dh vko; drk gkxh*, जिससे विभिन्न *u-LFkk-fudk; ka* के अंतराल अनुमानों की तुलनात्मकता सुनिश्चित की जा सके। न.स्था.निकायों की व्यय आवश्यकताओं एवं उनकी राजस्व जुटाने की क्षमता के माप के लिये हमारे पास कुछ प्रतिमान एवं मानक होना आवश्यक हैं। ये प्रतिमान एवं मानक सेवाओं के प्रदाय में कमी एवं स्वयं के राजस्व के विभिन्न स्रोतों की जांच का भी आधार होंगे। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की आर्थिक गतिविधियों एवं उनके स्तरों में भारी भिन्नताओं तथा किसी दिये गये स्तर पर न.स्था.निकायों के साधन जुटाने एवं सेवायें प्रदान करने की क्षमता में अंतरों के कारण यह एक जटिल अभ्यास है।

13.4.3 अनेक समितियों एवं विशेषज्ञ समूहों से विभिन्न नगरीय सेवाओं के लिये कतिपय भौतिक प्रतिमान प्राप्त करने के लिये *ifr&0; fDr 0; ;* के स्तर सुझाये हैं। इन प्रतिमानों एवं मानदण्डों में से अधिकांश राष्ट्रीय स्तर के लिये सुझाये गये हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ जैसे कम विकसित राज्यों, जहाँ नगरीय सेवाओं का वर्तमान स्तर काफी नीचा है, के संदर्भ में कम करना होगा। अतएव हमें ऐसे प्रतिमान एवं मानक चुनने होंगे, जिन्हें हमारे राज्य के द्वारा क्रियान्वित किया जा सके।

13.5.0 संभावित अंतराल के आकलन हेतु अपनायी गयी कार्यविधि :

13.5.1 विषय क्षेत्र एवं कार्यविधि संबंधी पूर्व अध्याय में, हमने पहले ही उस कार्यविधि की मोटी रूपरेखा का संकेत दिया है, जिसे हम *vk'n'kkRed vk/kkj ij I &for jktLo vrjky* के आकलन के लिये उपयोग में लायेंगे। अब हम विस्तार से कार्यविधि की चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रतिमानों एवं मानकों के आधार पर राजस्व अंतराल के आकलन

हेतु अनेक कार्यविधियाँ सुझाई गयी हैं, परन्तु अपनायी जाने वाली कार्यविधि के लिये आवश्यक है, कि वह सरल एवं क्रियान्वित की जा सकने योग्य हो तथा जिसके लिये विश्वसनीय एवं पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध हों।

- 13.5.2 **xIos foRr vk; kx** ने अपने प्रतिवेदन में एक कार्यविधि बताई है। आयोग की अनुशंसा है, कि **jk-fo-vk; kxk** को **jktLo ,oa 0; ; ds eW; kdu grq vkn'kkred nfvVdksk** अपनाना चाहिये। साथ ही राजस्व जुटाने के प्रतिव्यक्ति प्रतिमानों के लिये उन्हें **dj vk/kkj ,oa xj&dj jktLo** जुटाने की संभावनाओं को ध्यान में रखना चाहिये, जो उचित उत्पालवकता तथा अतिरिक्त साधन जुटाने की संभावनाओं की मान्यता पर आधारित हो। **ifr 0; fDr 0; ; ds ifreku dN I okd"V fu"iknu okys u-LFkk-fudk; k ds vkl r 0; ; ij vk/kkfjr gkus pkfg; A bl h idkj I kkfor jktLo ds vkyu ds fy; s rhu I cI s vPNs u-LFkk-fudk; k ds fu"iknu dks /; ku e a j [kuk pkfg; A ekVs rkj ij geus xIos foRr vk; kx }jk I qk; h x; h dk; fof/k dks vi uk; k gSA**
- 13.5.3 **fofkklu oxk ds u-LFkk-fudk; k dh jktLo I kkouk ,oa 0; ; vko'; drkvka dks Kkr djus ds fy; } geus i k; d oxl ds I okd"V rhu u-LFkk-fudk; k ds vkl r ifr0; fDr Lo; a ds jktLo ,oa ifr0; fDr jktLo 0; ; dks mI oxl ds I kk u-LFkk-fudk; k ds fy; s ifreku Lohdkj fd; k gA** यह वह स्तर है, जहाँ तक उस वर्ग के सभी **u-LFkk-fudk; k** को अपने प्रतिव्यक्ति राजस्व एवं व्यय को उठाना होगा। इससे हमें राज्य की विभिन्न वर्गों की **u-LFkk-fudk; k** के संभावित प्रतिव्यक्ति राजस्व एवं प्रति व्यक्ति व्यय आवश्यकताओं का सामान्य माप उपलब्ध होगा। निहित विचार यह है, कि जब कुछ नगरीय निकाय राजस्व एवं व्यय के किसी उच्च स्तर तक पहुँच सकते हैं तो फिर उसी वर्ग को अन्य नगरीय निकाय क्यों नहीं पहुँच सकते। **dk; fof/k fuEu ek; rkvka ij vk/kkfjr g%**
- (i) प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत न.स्था.निकायों के राजस्व आधार में अंतर न्यूनतम है,

- (ii) प्रत्येक वर्ग के नगरीय स्थानीय निकाय, मानक न.स्था.निकायों – जिनका ***Lo; adk ifr&0; fDr jktLo*** सर्वाधिक हैं, की दरें लागू करेंगे।

राजस्व सूजन एवं राजस्व व्यय के प्रतिव्यक्ति प्रतिमानों में, ***jktLo of)***, ***oa 0;*** ; वृद्धि के ***fi Nys rhu o"kk dh vkl r njka*** को ध्यान में रखा गया है। संभव है, अपनायी गयी कार्यविधि की कुछ सीमायें हों तथा वह सभी दृष्टियों से पूर्ण न हो, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह सर्वाधिक व्यवहारिक है। यह ***xll0g fo-vk-*** के सुझावों पर आधारित है।

13.6.0 नगरीय स्थानीय निकायों के संभावित राजस्व अंतराल का आदर्शत्मक आकलन :

- 13.6.1 ***I kj .kh Ø- 13-2*** में ***jktT; ds fofokk oxk dh u-LFkk-fudk; k ds I kkfor jktLo vrjky ds vukk fn; s x; s g***
- 13.6.2 ***I kj .kh Ø- 13-2 ,oa 13-3*** स्पष्ट करती है, कि ***I kkfor jktLo vrjky*** बढ़ रहा है, जिसका आंशिक कारण है, ***jktLo 0; ; e of)***] जो ***vf/kdkf/kd ek=k*** में राज्य एवं केन्द्र के हस्तांतरणों से वित्त पोषित हो रही है तथा ***Lo; adk jktLo dh de of) njA uxj ikfydk ifj"knka ds jktLo vrjky*** में काफी सुधार होगा, क्योंकि ***u-LFkk-fudk; k*** के अन्य ***nkuka oxk dh ryuk*** में, ***jktLo 0; ;*** में उनके ***Lo; adk jktLo*** न केवल अधिक है, वरन् बढ़ भी रहा है। वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि में यह 66.02% से बढ़कर 66.68% हो गया, तीन वर्षों 2001–02 से 2003–04–के औसत की तुलना में यह वृद्धि और अधिक है। ***uxj ipk; rk*** की स्थिति में भी सुधार है, परन्तु अत्यन्त धीमा 2001–02 से 2003–04 के 30.36% से बढ़कर 2009–10 में 30.96%, ***uxj ikfyd fuxek*** में 2005–06 से 2009–10 इसी अवधि में यह 57.71% से बढ़कर 30.19% होने की संभावना है, इसमें भी 2001–02 से 2003–04 की औसत स्थिति से तुलना करने पर स्थिति में सुधार दिखायी देता है। ***rhuks oxk ds u-LFkk-fudk; k dks feykdj fopkj djus ij] fLFkr e dkQh I qkj nf"Vxkpj gk g 3 o"kk ds 29-70% ds vkl r Is c<dj 2009&10 e 37-62% gk us dh I kkouk g*** इस सुधार को राजस्व

अंतराल में परिलक्षित होने में अनेक ऐसे कारणों से समय लगता है, जो **jktLo Ø; ; , oajktLo ikflr; k** को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है, राज्य एवं केन्द्र सरकार से हस्तांतरण जो न.स्था.निकाय व्यय के बढ़ते हुये स्तर का वित्त पोषण करते हैं।

- 13.6.3 राज्य की **I eLr U; kn'kh u-LFkk-fudk; k** का **dy jktLo vrjky]** प्रक्षेपण पूर्व की तीन वर्षों की अवधि के औसत के रूपये 142.90 करोड़ से बढ़कर 2005–06 में 174.84 करोड़ तथा 2009–10 में रूपये 378.48 करोड़ हो जायेगा, जैसा कि **I kj.kh Ø- 12-2** से ज्ञात होता है। यह सुधार **uxj ikfydk ifj'knk** के मामलें में काफी है परन्तु **uxj ikfyd fuxek** एवं **uxj ipk; rk** में धीमा है तथा उन्हें **dj , oa xj&dj I kr** से अतिरिक्त साधन जुटाने के गंभीर प्रयास करने होंगे। **jktLo vrjkyk** में वृद्धि **jktLo Ø; ;** में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप हो रही है, जो **u-LFkk-fudk; k** के बढ़ती हुई हस्तांतरण राशियों के कारण है, विशेषतयः **pakh , oa ; k-h dj** जैसे करों को समाप्त करने के एवज में क्षतिपूर्ति भुगतान तथा **I kisx; sjktLo** के फलस्वरूप।

13.7.0 समग्र नगरीय स्थानीय निकायों का राजस्व अंतराल :

- 13.7.1 ऊपर वर्णित **I kkfor jktLo vrjky** का आकलन **U; kn'kh u-LFkk-fudk; k** के द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के आधार पर किया गया है। जब हम इन आँकड़ों के आधार पर राज्य के सभी **u-LFkk-fudk; k ds fy; s I exz gsrq i k .k dtrs g; rks geal kj .kh Ø- 13-4 ea i Lr tkudkjh feyrh gsA**

I kk u-LFkk-fudk; k ds fy; s i k s i r jktLo vrjky ds 2005&06 ds : i ; s 210-78 djkl+ I s c<dj 2009&10 ea : i ; s 451-02 djkl+ gksu dh I kkouk g; इस **jktLo vrjky** में इसी अवधि में सर्वाधिक वृद्धि **uxj ikfyd fuxek** में रूपये 139.69 करोड़ से रूपये 307.82 करोड़ तथा उसके बाद के क्रम में, **uxj ikfydk ifj'knk** में रूपये 30.30 करोड़ से रूपये 60.

57 करोड़ तथा ***uxj ipk; rk*** में रूपये 40.79 करोड़ से रूपये 82.64 करोड़ होने की संभावना है।

13.8.0 राजस्व अंतराल के आकलन हेतु एवं वैकल्पिक दृष्टिकोण :

- 13.8.1 उपर्युक्त खण्ड में हमने राजस्व अंतराल का आकलन आम तौर पर इस हेतु अपनायी जाने वाली विधि से किया। ***bl h fof/k dk I φko xiios forr vk; kx us rFkk jk"Vh; forr ,oa uhfr I tFkkuj ubl fnYyh us fn; k gS rFkk vf/kd kdk jkfo-vk; kxka us bl s vi uk; k gS*** हम इस विधि का, जिसमें ***jktLo vrjky*** को ***u-LFkk-fudk;*** के ***jktLo 0;***; का उसकी ***Lo; adh jktLo iklr; k*** पर ***Vf/kD;*** माना गया है, विरोध नहीं करते। राजस्व अंतराल की यह एक उपर्युक्त परिकल्पना है तथा उसे सार्वजनिक राजस्व के सिद्धांत एवं व्यवहार में स्वीकार किया गया है। हमने भी ***okLrfod ,oa I tikkfor*** दोनों प्रकार के ***jktLo vrjky*** के आकलन में इसका उपयोग किया है, ***ijUrqbI jkT; ds I tikk eagej ,d ifjorlu ifjorlu dk I φko nsusdk I kgI djuk pkgsj*** जो राजस्व अंतराल की परिकल्पना के बारे में न होकर उस तरीक के बारे में है, जिससे स्वयं की राजस्व प्राप्तियों का माप किया जाता है। ***jktLo vrjky bl ,d rf; ds dkj.k cgf vf/kd irhr gkrk gS*** कि कर राजस्व का एक बड़ा भाग जो न्यायोचित रूप से स्थानीय निकायों का है तथा जो पूर्व में जब ये कर उनके द्वारा अधिरोपित एवं वसूले जाते थे, उनके स्वयं के कर राजस्व का अंग होता था, अब ***u-LFkk-fudk; k*** का स्वयं का राजस्व नहीं माना जाता, क्योंकि ***dfri; djka dh I ekflr*** के बाद इनके अधिरोपण एवं वसूली के अधिकार राज्य सरकार द्वारा ले लिये गये है तथा इनसे प्राप्त राजस्व, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के अंग हो गये हैं। राज्य सरकार द्वारा एकत्रित इनका राजस्व वसूली व्यय काटने के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में ***u-LFkk-fudk; k*** को हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रकार जो न्यायोचित रूप से ***u-LFkk-fudk; k*** का है तथा जो उनके स्वयं के राजस्व का अंग होना चाहिये था, अब राज्य सरकार के हस्तांतरणों का अंग हो गया है, जिसका उपयोग राजस्व व्ययों की पूर्ति के लिये किया जा रहा है, जो ***u-LFkk-fudk; k*** के राजस्व अंतराल में वृद्धि करता है। इन करों से संबंधित राजस्व जो राज्य सरकार द्वारा ***u-LFkk-fudk; k*** को ***I kfk x;k jktLo dgykrk gS okLro***

*eaml jktLo dh ifri frz gh g§ tks u-LFkk-fudk; k dks gh feyrkj ;fn os
gh bu djks dks yxkrh ,oa ol y djrh*

- 13.8.2 राजस्व अंतराल की परिकल्पना को यथावत रखने हुये, ;*fn bu djks I s iklr jktLo dks LFkuh; fudk; k ds Lo; adsj jktLo e 'kkfey fd;k tk;] rks muds jktLo vrjky dkQh de gks tk; g* यह मात्र लेखा प्रणाली का अंतर है। परिवर्तन के इस सुझाव का उद्देश्य **u-LFkk-fudk;** वित्त एवं उनके राजस्व अंतराल, जो **jk-fo-vk-** द्वारा अनुशंसित राजकोषीय पैकेज का आधार होता है, की अधिक वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करना। *geus I pk;s x;s ifjorl dk foHkklu oxk ds u-LFkk-fudk; k ds jktLo vrjky ij iMs okys iHko dk ix.ku fd;k* है, जो **I kj.kh dz 13-5** में प्रस्तुत है।

यद्यपि यह चर्चा केवल एक शैक्षणिक अभ्यास है, परन्तु इसे एक वास्तविक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है।

13.9.0 नगरीय स्थानीय निकायों के लिये राजकोषीय पैकेज :

- 13.9.1 राज्य के नस्थानिकायों के लिये *jkt dkskh; i Hst dk fu/kkj.k 740a I fo/kku I dksku ds vuPNn 243 (y) vf/fu; ej1992 e I ekfgr vf/knsk dk iejk vdk g* संशोधन ने नस्थानिकाय के कार्यों के दायरे में, उनके लम्बे समय से अब तक चले आ रहे कार्यों की तुलना में काफी वृद्धि की है तथा इनमें अनेक ऐसे कार्य हैं, जिनके लाभ नस्थानिकाय सीमाओं के बाहर तक फैले हुये हैं। संविधान ने नस्थानिकायों के लिये कोई पृथक कर सूची का प्रावधान नहीं किया है, जिसके फलस्वरूप वे राज्य सरकार द्वारा उन्हें किये गये करों के आवंटन पर निर्भर बने हुये हैं। नस्थानिकाय प्रशासन को करों की दरें तय करने की छूट एवं स्वायतत्त्व नहीं है। नगरीय सेवाओं के सेवा का मूल्य एवं उसके प्रदाय की लागत से कोई संबंध नहीं है। लोगों के नजदीक होने के कारण स्थानीय निकाय अच्छे कर संग्राहक नहीं हो पाते। उनकी कर दरों का समय—समय पर पुनरीक्षण नहीं होता। करों के बकाया बढ़ते रहते हैं तथा इसका कारण या तो अकुशलता होती है या कर निर्धारण में देरी। इन सभी कारणों से

उनका स्वयं का राजस्व उनके राजस्व व्यय से कम रह जाता है। यही कारण है, कि प्रत्येक संघ में सरकार के उच्च स्तर से राशियों का हस्तांतरण आवश्यक हो जाता है।

- 13.9.2 संघीय व्यवस्था में हस्तांतरण न्यायोचित होते हैं। स्थानीय निकायों को हस्तांतरणों के औचित्य के बारे में हम एक पूर्व अध्याय में विस्तार से लिख चुके हैं, परन्तु ये हस्तांतरण अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक प्रभावी हो सकें, इसके लिये यह आवश्यक है, कि इनका प्रदाय कुछ सिद्धांतों के अधीन किया जाय। ; s fl) kr g
 % (i) i nklupku {kerk] (ii) LFkk; Ro] (iii) i k jnf'krk] (iv) LFkk; h fuHkjrk
 dks c<kok u ns;s gq } uLFkk-fudk; ka dks vfrfjDr I k/ku t/ku ds fy; s
 i k&I kfgr djukA
- 13.9.3 न.स्था.निकायों के लिये ऐसा राजकोषीय पैकेज होना चाहिये, जो व्यय उत्तरदायित्वों एवं राजस्व जुटाने की क्षमता के बीच असंतुलन तथा अपनी राजकोषीय अयोग्यताओं से उत्पन्न राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध करा सके।
- 13.9.4 *jkt dkskh; i &st r&kj djrs I e; jk-fo-vk dks jkT; I jdkj ds foRrh; LokLF; dks /; ku e&j [kuk gksxk] D; ksd ; gh I jdkj LFkkuh; fudk; ka dks ckgjh I ts dk vf/kdkdk Hkkx mi yC/k djkrh gA ge LFkkuh; fudk; ka dh jkf'k; ka ds mi ; kx dh {kerk ,oa vi us vkrfjd I ts I s I k/ku t/ku ds dh ; k; rk dks Hkh /; ku e&j [kuk gksxkA* इस संदर्भ में हम इस तथ्य को पुनः रेखांकित करना चाहेंगे, कि राज्य के न.स्था. निकायों में राजस्व लेखें, पूँजीगत लेखे तथा संपूर्ण बजट में भी काफी अतिरेक निर्मित हो गये हैं। भले ही उनकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक दिखती हो, परन्तु उनकी कार्यात्मक क्षमता तथा नागरिकों को पर्याप्त सेवाओं के प्रदाय के मामले में कोई सुधार प्रतीत नहीं होता। *mudh I eL;k; a ek= foRrh; u gksdj izkki dh;] rdulhdh ,oa I LFkkxr gA*

13.10.0 राज्य सरकार के हस्तांतरणों का वर्गीकरण :

13.10.1 राज्य बजट में, बजटीय आबंटनों तथा उनका विभिन्न मदों एवं उपमदों में असमूहीकरण (विभाजन) के लिये, पर्याप्त औचित्य संबंधी जानकारी दी जानी चाहिये। पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा हस्तांतरणों के उचित मूल्यांकन के हित में हमारी अनुशंसा है, *fd u-LFkk-fudk; kā dks jkT; I jdkj }jk fd;s tkus okys I Hkk gLrkaj.kā dk fuEukuj kj oxhdj.k ,oa iLrfr gkuh plfg;s rFkk rnuq kj ghj jkT; ds foHkkxka ea vLdmka dk I dyu fd;k tkuk plfg;* विभिन्न हस्तांतरणों को पृथक—पृथक माँग संख्या दी जानी चाहिये एवं –

1. राज्य के स्वयं के राजस्व के विभाजनीय कोष में रा.वि.आ. की अनुशंसा अनुसार हिस्सा,
2. चुंगी, यात्रीकर एवं अन्य करों के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में सौंपा गया राजस्व,
3. स्थानीय निकायों में आबंटन के लिये राज्य करों पर अधिभार,
4. (अ) रा.वि.आ. की अनुशंसा अनुसार सहायता अनुदान,
(ब) राज्य सरकार से सामान्य उद्देशीय एवं विशिष्ट सहायता अनुदान,
5. राज्य नियोजन मंडल की अनुशंसा पर आयोजना अनुदान,
6. के.वि.आ. की अनुशंसा अनुसार केन्द्र सरकार से अनुदान,
7. अन्य हस्तांतरण एवं
8. कुल हस्तांतरण।

I kās x;s jktLo ,oa I gk; rk vuqku dks orEku dh Hkkfr ,d I kFk ughafeykuk plfg;

13.11.0 विभागीय कोष का आकार एवं उसकी संरचना :

13.11.1 *foHkktuh; dkskj jkT; ds jktLo dk og Hkkx gksk g; ftI ea LFkkuh; fudk; kā dh fgLI snkjh gksk g;* प्रथम प्रश्न जो उठता है, वह है, कि *foHkktuh; dksk dk vdkj* क्या हो ? उसमें *jkT; I jdkj dk døy dj jktLo* हो अथवा *dj ,oa x&dj nkukajktLo* शामिल हों ? उसमें *I awkZ dj jktLo* शामिल हो अथवा *døy dN fof'k'V djka* से प्राप्त राजस्व ? क्या हमें उसमें संपूर्ण कर राजस्व, जिसमें केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा भी हो, शामिल करना चाहिये अथवा केवल राज्य का स्वयं का कर राजस्व ? इस मामले में देश के विभिन्न रा.वि.

आयोगों के बीच मतैक्य नहीं है। भिन्न-भिन्न वित्त आयोगों ने इस विषय में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। इससे कुछ भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है। *vf/kdkdk jk-fo-vk; kxks us døy jkT; I jdkj ds dj jktLo dh LFkuh; fudk; ka ds I kfk fgLI skjh dh vuqkl k dh gś* कुछ ने वृहद दृष्टिकोण अपनाते हुये राज्य सरकार के कर एवं गैर-कर दोनों राजस्वों में हिस्सेदारी सुझायी तथा कुछ ने राज्य के समस्त राजस्व में हिस्सेदारी का सुझाव दिया है। इस प्रकार हमारे सामने हिस्सेदारी के अनेक मॉडल हैं, जिनमें से हम चयन कर सकते हैं।

- 13.11.2 इस संबंध में हमें *I dskfud i ko/ku* को देखना होगा, जो निम्नानुसार है –

^jkT; ,oa LFkuh; fudk; ka ds chp djk] 'kj[d] Qhl ftulg] jkT; vf/kjksir dj I drk gSrFkk tks jkT; }kj k yxk;s x;s gk] I s i klr 'kj jkf'k; ka dk I Hkh Lrjk ds LFkuh; fudk; ka e] muds fgLI ka dk c\okjkA^

- 13.11.3 *I dskfud vi sk* को देखते हुये हम पाते हैं, कि *foHktuh; dk&k* में राज्य के *I awkI dj ,oa xj&dj jktLo* को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है। संविधान हमसे समग्र कर एवं गैर-कर राजस्व में हिस्सेदारी की अनुशंसा करने की अपेक्षा नहीं करता। वह हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता, जब उसमें स्पष्ट उल्लेख है— *~dj] 'kj[d] Qhl ftulg] jkT; vf/kjksir dj I drk g**** स्पष्टतः हमें केन्द्रीय कर राजस्व में, *dsfo-vk* की अनुशंसा अनुसार, राज्य के हिस्से को इससे बाहर रखना होगा। *vr,o ges foHktuh; dk&k e] døy jkT; ds Lo;a ds 'kj dj jktLo dks gh 'kkfey djuk gś ftI dh x.kuk ol yh 0; ; ?kvkus ds ckn dh tk; xh*

- 13.11.4 अब आयोग राज्य एवं स्थानीय निकायों के बीच राजस्व की हिस्सेदारी के आकार एवं उसकी संरचना संबंधी अनुशंसा करने की स्थिति में है। इसका प्रगणन पिछले वर्ष के स्वयं के कर राजस्व के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के कर राजस्व में आर्थिक वृद्धि दर एवं मुद्रास्फीति दर का प्रभाव सन्निहित होता है, अतः हमें वृद्धि दर एवं मुद्रास्फीति दर के समायोजन के लिये किसी आधार वर्ष के कर राजस्व को लेकर उस पर आने वाले वर्षों के लिये वार्षिक वृद्धि दर की अनुशंसा करने की आवश्यकता नहीं है।

- 13.11.5 *vk; kx dh vuqkd k g\$ fd jkT; ds LFkuh; fudk; ka dks i fr o"kljkT; ds Lo; a ds dj jktLo dk ,d fuf'pr ifr'kr feyuk pkfg; A dj jktLo dk ix.ku I dy Lo; a ds dkj jktLo e\$ Is 10% ol yh 0; ; ?kvk dj fd; k tk; A*
- 13.11.6 हमारा अगला कार्य है, हिस्से वाले राजस्व का आकार निर्धारित करना तथा अंश वितरण की प्रक्रिया तय करना। ;g f=&Lrjh; ifØ;k gksh & (i) foHkkkuh; dk\$e\$ LFkuh; fudk; ka dk ifr'kr vdk r; djuk] (ii) fu/kkjfr jkf'k e\$ i ajk-I LFkkvka ,oa u-LFkk-fudk; ka dk i Fkd&i Fkd vdk r; djuk] (iii) foHkkkuu i ajk-I LFkkvka ,oa uLFkk-fudk; ka e\$ vki l e\$ cokjs ds fy; se kun.M r; djukA
- 13.11.7 *ifr'kr vdk I awk vf/fu.k\$ vof/k ds fy; s ykxw jgskA geus LFkuh; fudk; ka ds vdk ½ijk-I LFkkvka rFkk uLFkk-fudk; ka ds vdk½ ds fy; s ,d gh fLFkj nj dh vuqkd k dh g\$* परन्तु राज्य सरकार की सकल एवं शुद्ध स्वयं के कर राजस्व की राशि का प्रगणन, प्रति वर्ष **jk-fo-vk-** द्वारा अनुशंसित एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एक निश्चित प्रतिशत एवं मानदण्ड के आधार पर करना होगा।
- 13.11.8 विभाजनीय कोष का कितना प्रतिशत राज्य के स्थानीय निकायों को आबंटित होना चाहिये ? इस प्रतिशत के बारे में सुझाव देने के लिये हमें अनेक कारकों पर ध्यान देना होगा। ये कारक इस प्रकार हो सकते हैं – *LFkuh; fudk; ka ds jktLo vrjky dk vdkj] i ajk-I LFkkvka ,oa uLFkk-fudk; ka dh Lo; a ds I kku t\$kus dh {kerkj mudh I exz foRrh; fLFkfr] jkT; I jdkj dk jkt dk\$kh; LokLF;] jkT; vFkD; oLFkk dk I kekJ; fu"iknu rFkk LFkuh; fudk; ka dh vko'; drk; a bu I Hkh dkj dks /; ku e\$ j[krs gq s vk; kx vuqkd k djrk g\$ fd vf/fu.k\$ vof/k ds i R; s o"kljkT; I jdkj ds Lo; a ds 'kq dj jktLo e\$ 8-287% dh fgLI skjh LFkuh; fudk; ka dks nh tk; A* आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय पैकेज से संपूर्ण राजस्व अंतराल की पूर्ति करना संभव नहीं होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद से ही राज्य सरकार तत्कालीन

e/; insk I jdkj के iFke jkfo-vk- की अनुशंसाओं को लागू करती रही है, जिसके अंतर्गत स्थानीय निकायों का अंश jkT; ds dy dj , oaxf&dj jktLo dk 3.42% था। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय मध्यप्रदेश का द्वितीय jk-fo-vk- कार्यरत था, परन्तु उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ था। e/; insk ds f}rh; jk-fo-vk- us LFkuh; fudk; k ds fy; s jkT; I jdkj ds dy Lo; a ds dj jktLo ds 4% vdk dh vuqld k dh g॥ इस पृष्ठभूमि में तथा अन्य सभी कारकों पर विचार करते हुये, vk; kx vuqld k djrk g\$ fd jkT; I jdkj ds Lo; a ds 'kj dj jktLo ds 8-287% vdk e vf/kfu.k\$ vof/k 1/2005&06 Is 2009&10% ds iR; s o"kl LFkuh; fudk; k dh fgLI skjh ekU; dh tk; A bl ds vfrfjDr vk; kx LFkuh; fudk; k ds fy; s I kekU; mnnskh; vuquka rFkk I kis x; s jktLo e of) dh Hkh vuqld k djxkA

13.11.9 geus Lo; a ds dj jktLo ds vk/kkj ij ftI s geus vf/kfu.k\$ vof/k ds fy; s iksir fd; k g\$ jkT; I jdkj ds Lo; a ds dj jktLo e LFkuh; fudk; kx dh fgLI skjh dh okLrfod jkf'k; kx dk ikx.ku fd; k g\$ जो I kj .kh Ø- 13-6 में प्रस्तुत की गई है।

13.11.10 उपर्युक्तानुसार निर्धारित राशि को राज्य के i ajk-I LFkkvka एवं u-LFkk-fudk; kx के बीच आबंटित किया जाना है। vk; kx dh vuqld k g\$ fd bl jkf'k dk vkcdu bu nkuks oxk ds LFkuh; fudk; kx e o"kl 2001 dh tux.kuk ds vuqkj dy tul q; k e xkeh.k , oauxjh; tul q; k ds vuqkr e fd; k tk; A jkT; dh dy tul q; k e xkeh.k , oauxjh; tul q; k dk vuqkr Øe'k% 79-91% , oa 20-09% FKA bl vuqkr ds vk/kkj ij jkT; ds Lo; a ds 'kj dj jktLo ds fu/kkjr ifr'kr vdk e ijk-I LFkkvka , oa uLFkkfudk; kx dk vdk fuEukuq kj gkxk %

i ajk-I LFkkvka का अंश	6.628 %
u-LFkk-fudk; kx का अंश	1.659 %
; kx	8.287 % jkT; I jdkj ds Lo; a ds 'kj dj

jktLo dk

इस फार्मूला के आधार पर geus vf/kfu.k; vof/k ds i k; o"kk;
 ea ls i R; sd ds fy; } i ajk-l Fkkvka ,oa u-LFkk-fudk; ka ds fy; s
 i Fkd&i Fkd vd kkkx dh jkf'k; ka dh ix.kuk dh g; ft ls I kj. kh dz
 13-7 ea n"kk;k x; k ga okLrfod jkf'k; k; i R; sd o"kk;jkT; I jdkj dks
 feyus okys 'k; Lo; a ds dj jktLo ij fuHkj gkxhA

- 13.11.11 *vxyh vko'; drk i aj kI lFkkvka, oa uLFkk-fudk; ka ds chp vki l e*
vkcdluka dh gA निर्धारित राशि का *i aj kI lFkkvka* के बीच वितरण *jk-fo-vk*
द्वारा *ipk; rh jkt l lFkkvka* संबंधी पृथक प्रतिवेदन में किया जायेगा। *bl*
ifrosnu dk l zdk doy u-LFkk-fudk; ka ds vdk dks jkT; dh fofhklu u-
LFkk-fudk; ka ds chp vkcdl u djus l s gA bl ds fy; s ekun.M dh
vuqkd k djrs l e; vk; ksx us rhu dkjaka dks /; ku eaj [kk gs &

- 13.11.12 XII *jk-fo-vk jkT; dh fofHku u-LFkk-fudk; k* के बीच आबंटन हेतु
fuEufyf[kr ekun. Mka rFkk muds I xf/kr Hkj dh vuqHk k djrk gs%

Ø-	ekun.M	Hkkj ½ ½
1	नगरीय निकाय जनसंख्या	80
2	नगरीय निकाय क्षेत्रफल	10
3	नगरीय निकाय गंदी बस्ती जनसंख्या	10

प्रत्येक *u-LFkk-fudk;* की *tul ;k 2001* की जनगणना अनुसार निर्धारित होगी। मौटे तौर पर जनसंख्या आवश्यकताओं का प्रतीक होती है। *{ks-Qy* से आशय प्रत्येक नस्था.निकाय का विधिक अधिकार क्षेत्र होता है। इसकी गणना राज्य के

कुल न.स्था.निकायों के क्षेत्रफल में से प्रत्येक न.स्था.निकाय के प्रतिशत क्षेत्रफल के रूप में की जा सकती है। यह भी एक दूसरा ऐसा वस्तुपरक मानदण्ड है, जो मौटे तौर पर आवश्यकताओं का प्रतीक होता है। **xnh cLrh tul {;k** कुछ सीमा तक साम्यता का आधार हो सकती है। न.स्था.निकायों के लिये निर्धारित 10% राशि ऐसी न.स्था.निकायों को वितरित की जा सकती है, जिनकी गंदी बस्ती जनसंख्या उनकी संबंधित जनसंख्या का 10% अथवा इससे अधिक हो। अधिक नगरीय निकाय इस प्रस्ताव का लाभ ले सकें, इस उद्देश्य से 10% की इस कम सीमा का सुझाव दिया गया है। ऐसी न.स्था.निकायों में कुल राशि का आबंटन **2001 dh tux.kuk** अनुसार राज्य की कुल गंदी बस्ती जनसंख्या में उनकी प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर किया जा सकता है। न.स्था.निकायों को उन्हें इस प्रकार आबंटित राशि का उपयोग केवल गंदी बस्तियों के सुधार के लिये करना होगा।

13.12.0 सहायता अनुदान (सामान्य उद्देशीय) :

13.12.1 **vk; kx vuqld k djrk g\$ fd jkT; I jdkj Lo; a ds dj jktLo e@ fgLI snkjh ds vfrfjDr] ifro"kl : i ; s 16 djkl+dk vkc\lu u-LFkk-fudk; k@ dks I kek\l; mnns'kh; vuqku ds : i e@ forj.k grq djs rFkk iR; s o'kl bI jkf"k e@ 1 djkl+dh of) dh tk,A ;s I kek\l; mnns'kh; vuqku gkx\$ ftudk mi;kx uxjh; fudk; Lofoosd I s ijUrqvi uh itfkfedrkvka ds vuqkj ,oajkT; I jdkj ds vuqknu ij dj I dksA u-LFkk-fudk; k@ ds chp vki I e@ I gk; rk vuqku ds vkc\lu ds fy; s vk; kx fuffEufyf[kr ekun.M dh vuqld k djrk g\$ rFkk ;g ekun.M vf/fu.kt vof/k ds fy; s ykxwjjgskA**

Ø-	ekun.M	Hkkj 1/2
1	जनसंख्या	10
2	राजस्व के लिये प्रयास	40
3	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई के सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति व्यय से दूरी	50

13-12-2 किसी न.स्था.निकाय के **yktLo grq i ; kl 1/2** के लिये 40% भार का निर्धारण पिछले वर्ष में उसके स्वयं के राजस्व (कर राजस्व+गैर-कर राजस्व) का उसके कुल राजस्व

व्यय से अनुपात से होगा। **bI ekun.M dh vuqld k u-LFkk-fudk; ka dks vi us Lo; a ds I k/ku tylkus ds fy; s iz kl djus gsr i fjr djus ds mnns;** **I s dh xbZ gS** राज्य की न.स्था.निकायों के वित्त की समीक्षा करते समय हमने बताया है, कि वर्तमान में नस्था.निकायों द्वारा स्वयं के साधन जुटाने हेतु किये जाने वाले प्रयास अपर्याप्त हैं, कतिपय मामलों में तो अत्यन्त कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप बाहरी स्रोतों पर उनकी निर्भरता, विशेषतया राज्य सरकार के हस्तांतरणों पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। **bI ekun.M dks ykxw djus ds fy; s fuEufyf[kr I # dh vuqld k dh tkrh gS &**

13.12.3 **iR; sI u-LFkk-fudk; dks vkcVu fuEufu vklkj ij fd; k tk; sk &**

1	यदि स्वयं के राजस्व का राजस्व व्यय से अनुपात 30% से कम है	कोई अनुदान नहीं
2	यदि अनुपात 30% से 40% है	प्रति व्यक्ति अनुदान रूपये 3
3	यदि अनुपात 41% से 60% है	प्रति व्यक्ति अनुदान रूपये 5
4	यदि अनुपात 61% से 80% है	प्रति व्यक्ति अनुदान रूपये 7
5	यदि अनुपात 81% + है	प्रति व्यक्ति अनुदान रूपये 10

प्रत्येक **u-LFkk-fudk;** का सहायता अनुदान निर्धारण पिछले वर्ष के अनुपात के आधार पर किया जायेगा।

13.12.4 **rhl jk ekun.M]** जिसका भार **I gk; rk vuqku** का 50% है, से आशय है, न.स्था.निकायों के **iR; sI oxZ ea LokLF; ,oa I QkbZ ij I okl/kd ifr 0; fDr 0; ; djus okyh rhu u-LFkk-fudk; ka dk bl en ij fd; s x; s ifr&0; fDr 0; ; dk vklj rA** इसका उद्देश्य ऐसी न.स्था.निकायों को सहायता देना है, जो स्थानीय निकायों के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य पर, जिसमें जल आपूर्ति, नाली व्यवस्था, मल निपटान, सड़कों की सफाई, अस्पताल एवं औषधालय, पार्क एवं उद्यान, छूत से फैलने वाले रोगों की रोकथाम तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम शामिल हैं, कम प्रति व्यक्ति व्यय कर रही हैं। **u-LFkk-fudk; ka** के लिये सार्वजनिक स्थान एवं सफाई के

सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति व्यय से दूरी को सुगमता से ज्ञात किया जा सकता है। ये आँकड़े आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। आपसी आबंटन में यह मानदण्ड साम्यता की शर्त पूरी करता है। इस मानदण्ड के अंतर्गत ***u-LFkk-fudk;*** को आबंटित राशि का उपयोग ***u-LFkk-fudk;*** व्यय के इसी मद पर करना होगा।

*vc ge jkT; ds u-LFkk-fudk; kṣ ds fy; s jkt dkskh;
iṣt dh I esdr fLFkfr iLrr dj I drs gṣ I kj.kh Ø- 13-8 ; g
fLFkfr n'kkh xbzgṣ {kfrifrl, oal kṣ s x; sjktLo dh jkf'k; kṣ dk
vk/kkj U; kn'kh u-LFkk-fudk; kṣ }kjk mi yC/k djk; s x; s vklMṣ gṣ
ftul s I exz ds fy; s i{kṣ .k fd; k x; k gṣ jkT; I jdkj }kjk bl
I cdk esmi yC/k djk; s x; s vklMṣ kṣ eṣ I d axfr ugha gṣ*

- 13.12.5 विभिन्न घटकों की राशियाँ अनुमानित हैं, जिनका आधार आयोग द्वारा किये गये राजस्व के प्रक्षेपण हैं। संभव है वास्तविक राशियाँ इससे भिन्न प्राप्त हों। ***Lo; a***
ds dj jktLo dh okLrfod jkf'k flllu gks I drh gṣ ijUrq u-LFkk-fudk; kṣ ds I kfk mI dh fgLI skjh ds ifr'kr I awk vf/fu.kh vof/k eṣ ogha jgṣ इसी प्रकार संभव है, कि क्षतिपूर्ति एवं सौंपे गये राजस्व के रूप में हस्तांतरणों की वास्तविक राशि हमारे द्वारा अनुमानित राशि से भिन्न हो। इस संबंध में ***vk; kṣ dfri; djka ds ,ot dh {kfrifrl rFkk I kṣ s x; s jktLo ds : i esjkT; I jdkj ds }kjk fd; s tkus okys gLrkaj.kṣ eṣ 15% okf'kd dh of) dh vuq'kd k djrk gṣ ,oa pkh {kfrifrl eṣ iR; s o"l fi Nys o"l dh jkf'k es i dsk dj dh of) nj ds vk/kkj ij of) dh tk; A*** राजकोषीय पैकेज का संपूर्ण अभ्यास कुछ मान्यताओं पर आधारित है।
- 13.12.6 ***jkfo-vk-dh vuq'kd kvka ij fd; s tkus okys jkT; I jdkj ds bu gLrkaj.kṣ I s jktLo vrjky dh dṣoy vif'kd i frl gh gks I dṣhA 'kṣk jkf'k u-LFkk-fudk; kṣ dks Lo; avius dj ,oa xṣ&dj nkuk I tarks***

I s t⁴kuh gkxhA vlf'kd : i I s bl dh Hkh i frz dsfo-vk dh vuqld k ij d⁴nh; I jdkj ds gLrk⁴rj.kka I sgks I dxhA आंतरिक एवं बाह्य स्रोत से उपलब्ध साधनों के बावजूद, काफी संभावना है, कि राजस्व अंतराल का कुछ भाग फिर भी अपूरित रहे। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अभिकरणों को यह ज्ञात करने के कार्य को सुगम बनाना है, कि न.स्था.निकायों को कितनी राशि उपलब्ध करायी जाय। विभिन्न अभिकरण इस कार्य को किस प्रकार संपादित करते हैं, इस पर भी राजकोषीय विकेन्द्रीकरण की यात्रा की प्रभावशीलता निर्भर होगी। यह न.स्था.निकाय वित्त को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रमुख कदम होगा।

- 13.12.7 *jkfo-vk*- द्वारा अनुशंसित हस्तांतरण *jkT; I jdkj dh {kerk ds vnj gh gS rFkk bulsjkT; I jdkj ij vI guh; Hkj ugh i M⁴kkA geusjkT; foRr dh I eh{k dJrs I e; jkT; I jdkj dh etcr jktdksh; fLFkfr dks /; ku e⁴j[krs gq s gh] bl s i{ksfir fd;k g⁴ ge ikr⁴g⁴ fd jkT; dh foRrh; fLFkfr] mI ds }kjk or⁴ku e⁴ fd;s tk jgs gLrk⁴rj.kka dh rguk e⁴vk⁴ vf/kd gLrk⁴rj.kka dh vuqfr ns⁴h g⁴*
- 13.12.8 वर्ष 2005–06 के बजट के अनुसार, ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार के स्थानीय निकायों को सभी प्रकार के हस्तांतरणों के लिये रूपये 332.17 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके विरुद्ध, मौद्रिक रूप में हमारी अनुशंसायें *u-LFkk-fudk;k* के लिये रूपये 181.71 करोड़ की होती हैं। इसमें *jkfo-vk* द्वारा अनुशंसित, *i ajk-I LFkkvk* को किये जाने वाले हस्तांतरण जोड़ देने पर संभवतः, राज्य बजट में अतिरिक्त प्रावधान करना आवश्यक होगा। *i jUrqjkT; I jdkj dsLo; adsdj jktLo dh c<-rh g⁴z mRlykodrk dh i "BHKfe e⁴ ge⁴ Hkj k g⁴ fd dy feykdj] xkeh.k ,oa uxjh; nkuk L⁴kuh; fudk;k dks jkfo-vk }kjk*

*vudkfl r gLrkj.k jkT; I jdkj dh foRrh; {kerkvka ds vrxt
gh gksA*

13.12.9 *I kj.kh Ø- 13-8* में *geus vf/kfu.kz vof/k ea jkT; ds ctV ij gLrkj.kka ds iHko dks nqkus ds mnns'; I } vuqkfl r gLrkj.kka d} foHkklu jkt dksh; I exta lsifr'kr iLrfd;s gA*

13.12.10 *I kj.kh Ø- 13-9* स्पष्ट करती है, कि *jkT; dksh ij gekjh vuqkd kvka dk iHko jkT; dh foRrh; {kerk ds vanj gh gksk*। इसके विपरीत, प्रतिशत के रूप में, यह प्रभाव, *jkT; I jdkj ds Lo;a ds jktLo* के मामले में, 2005–06 के 3.32% से घटकर 2009–10 में 2.78%, *Lo;a ds dj jktLo* में 4.55% से 3.64% तथा *dgy jktLo iHkflr;k* में उसी अवधि में, 2.04% से 1.68%, होने की संभावना है। *bl fxjkoV dk dkj.k v/; ;u vof/k ea jkT; ds dj ,oa xj&dj jktLo ea I Hkfor mRlykodrk gks I drh gA*

13-13-0 XII foRr vk;kx lsikl r vunku dk forj.k %

13.13.1 राज्य वित्त आयोग XIIवें वित्त आयोग से राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों को 5 वर्षों के लिए प्राप्त होने वाले 88 करोड़ रुपये (17.60 करोड़ प्रतिवर्ष) का राज्य के विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों के बीच आबंटन हेतु निम्नलिखित मानदण्डों तथा उनसे संबंधित भार की अनुशंसा करता है :—

Ø-	ekun.M	Hkkj 1% ½
1	जनसंख्या	80
2	नगरीय निकाय क्षेत्रफल	10
3	गंदी बस्ती जनसंख्या	10

सारणी क्र 13.1
u-LFkk-fudk; k_adk okLrfod jktLo vrjky
1/2001&02 | s 2003&04½

(हजार रु.)

Ø-	I d _a rk _a v _k j u-LFkk-fudk;	2001-02	2002-03	2003-04	okf"kd v _k r jktLo vrjky
1	2	3	4	5	6
1.	uxj i kfyd fuxe				
i)	राजस्व व्यय	1631152	2044917	1294821	1656963
ii)	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	400558	445084	531647	459096
iii)	राजस्व अंतराल (ii-i)	-1230594	-1599833	-763174	-1197867
2.	uxj i kfyd_k i f_j"kn~				
i)	राजस्व व्यय	245733	258100	311357	271730
ii)	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	96418	102124	140896	113149
iii)	राजस्व अंतराल (ii-i)	-149305	-155976	-170461	-158581
3.	uxj i p_k; r				
i)	राजस्व व्यय	89354	105498	117353	104068
ii)	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	31534	31298	31983	31605
iii)	राजस्व अंतराल (ii-i)	-57820	-74200	-85370	-72463

rhu o"kk_a ds fy, v_k r 1/2001&02 | s 2003&04½

(करोड़ रु.)

Ø-	u-LFkk-fudk; k _a dk i dkj	okLrfod jktLo vrjky	I a _w k _a jkt; ds fy; svu _k ku	Lo; ads I k/ku] jktLo 0; ; ds % ea
1.	नगर पालिक निगम	119.79	119.79	27.71

2.	नगर पालिका परिशदें	15.86	23.53	41.63
3.	नगर पंचायतें	7.25	20.08	30.36
	; क्ष	142.90	163.40	29.70

सारणी क्र. 13.2

**jkt; ds u-LFkk-fudk; का dk I लक्ष्यका jktLo vrjky
1/2005&06 I s 2009&10½**

(करोड़ रु.)

da	I drskd , oa u-LFkk-fudk;		okLrfod jktLo vrjky&2001&02 I s 2003&04 dk व्हर		i लक्ष्यका		
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	uxj iक्ष्यद fuxe						
i.	राजस्व व्यय	165.70	239.38	278.88	324.89	378.50	440.95
ii.	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	45.91	99.69	107.17	115.20	123.84	133.13
iii.	jktLo vrjky (ii-i)	-119.79	-129.69	-171.71	-209.69	-254.66	-307.82
2.	uxj iक्ष्यदk i fj"kn~						
i.	राजस्व व्यय	27.17	60.09	71.81	85.81	102.54	122.54
ii.	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	11.31	39.67	47.53	56.93	68.21	81.71
iii.	jktLo vrjky (ii-i)	-15.86	-20.42	-24.28	-28.88	-34.33	-40.83
3.	uxj iप्क; r						
i.	राजस्व व्यय	10.41	23.87	27.69	32.12	37.26	43.22
ii.	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	3.16	9.14	10.05	11.06	12.17	13.38
iii.	jktLo vrjky (ii-i)	-7.25	-14.73	-17.64	-21.06	-25.09	-29.84
4.	dy uxjh; LFkkh; fudk;						
i.	कुल राजस्व व्यय	203.28	323.34	378.38	442.82	518.30	606.71
ii.	कुल स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	60.38	148.50	164.75	183.20	204.22	228.23
iii.	dy jktLo vrjky (ii-i)	-142.90	-174.84	-213.63	-259.62	-314.08	-378.48

सारणी क्र. 13.3

**u-LFkk-fudk; का ds jktLo 0; ; I s Lo; adh jktLo iक्ष्यर; का dk i fr'kr
1/2005&06 I s 2009&10½**

dz	u-LFkk-fudk;	2001&02 I s					
		2003&04 dk व्हर					
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	नगर पालिका निगम	27.71	41.65	38.43	35.46	32.72	30.19
2.	नगर पालिका परिषद्	41.63	66.02	66.18	66.35	66.52	66.68
3.	नगर पंचायत	30.36	38.29	36.31	34.43	32.65	30.96
	I Hh oxz	29.70	45.93	43.54	41.37	39.40	37.62

सारणी क्र. 13.4

**jkt; ds I eLr u-LFkk-fudk; kdk I Hkfor jktLo vrjky
vuqfur iksir vkdMka ds vk/kj ij
1/2005&06 I s 2009&10½**

(करोड़ रु.)

ds	u- LFkk- fudk;	I exz u- LFkk- fudk; kaij iksir I Hkfor jktLo vrjky 1/2001&02 I s 03&04½	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नगर पालिका निगम	119.79	139.69	171.71	209.69	254.66	307.82
2.	नगर पालिका परिषद्	23.53	30.30	36.03	42.84	50.94	60.57
3.	नगर पंचायत	20.08	40.79	48.84	58.32	69.49	82.64
	dy I Hkfor jktLo vrjky	163.40	210.78	256.58	310.85	375.09	451.02

सारणी क्र. 13.5

**nks nf'Vdks kka ij vk/kfjr uxjikfydkvk dk jktLo vrjky
1/2005&06 I s 2009&10½**

(करोड़ रु.)

Ø-	fooj .k	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम दृश्टिकोण के	210.78	256.58	310.85	375.09	451.02

	आधार पर					
2	वैकल्पिक दृश्टिकोण के आधार पर	137.74	174.89	220.56	276.55	345.04
3	राजस्व अंतराल की मात्रा में कमी	73.04	81.69	90.29	98.54	105.98

सारणी क्र. 13.6

**jkT; I jdkj ds Lo; ad s 'kj dj jktLo ea LFkuh;
fudk; ka ds vdk dk fu/kkj .k**

(करोड़ रु.)

Ø-	fooj .k	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1	राज्य सरकार का स्वयं का कर राजस्व	3994.79	4956.29	6161.76	7673.72	9571.23
2	वसूली व्यय (10%)	399.48	495.63	616.18	767.37	957.12
3	शुद्ध राशि	3595.31	4460.66	5545.58	6906.35	8614.11
4	'kj dj jktLo dk 8-287% LFkuh; fudk; ka ea vkcju grq	297.94	369.65	459.56	572.33	713.85

सारणी क्र. 13.7

**jkT; I jdkj ds 'kj dj jktLo ea
i ajk-l LFkuh ka vkj u-LFkuh-fudk; ka ds i qkfi r vdk
1/2005&06 I s 2009&10½**

(करोड़ रु.)

Ø-	fooj .k	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1.	पं.रा.संस्थाओं का अंश	238.29	295.65	367.56	457.75	570.94
2.	न.स्था.निकायों का अंश	59.65	74.00	92.00	114.58	142.91
3.	कुल राशि	297.94	369.65	459.56	572.33	713.85

सारणी क्र. 13.8

**u-LFkk-fudk; ka ds fy ; sjkt dksh; i fstd , oamuds ?kVd
½2005&06 I s 2009&10½**

(करोड़ रु.)

Ø-	fooj .k	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1	राज्य के शुद्ध स्वयं के कर राजस्व में न.स्था.निकायों के हिस्से का विभाजनीय कोष	59.65	74.00	92.00	114.58	142.91
2	राज्य सरकार से कतिपय करों की क्षतिपूर्ति एवं सौंपे गये राजस्व के रूप में हस्तांतरण	106.06	121.97	140.26	161.30	185.50
3	सामान्य उद्देशीय सहायता अनुदान	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00
	; lkx	181.71	212.97	250.27	292.88	348.41

सारणी क्र. 13.9

**jk-fo-vk- dh vuqkd kvkdk dfri ; jkt dksh;
I exta dh i qkrir jk'k; ka ij i kko
½2005&06 I s 2009&10½**

Ø-	I dksh	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1.	रा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित कुल हस्तांतरण (करोड़ रु.)	181.71	212.97	250.27	292.88	348.41
2.	मद 1, राज्य सरकार के स्वयं के प्रक्षेपित राजस्व के % में	3.32	3.17	3.03	2.90	2.78

3.	स्वयं के कर राजस्व का %	4.55	4.30	4.06	3.84	3.64
4.	कुल राजस्व प्राप्तियों के % में	2.04	1.94	1.85	1.76	1.68
5.	कुल संभावित राजस्व अंतराल (करोड़ रु.)	210.78	256.58	310.85	375.09	451.02
6.	jkt dksh; i&st jktLo vrjky da % ea	86.21	83.00	80.51	78.62	77.25